सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित | Published by Authority

कार्तिक 5, मंगलवार, शाके 1937--अक्टूबर 27, 2015
Kartika 5, Tuesday, Saka 1937—October 27, 2015

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

जोधपुर नगर निगम (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2015

जोधपुर नगर निकाय क्षेत्र में विवाह एवं समारोह स्थल में आमजन को होने वाली असुविधा एवं निकाय द्वारा संपादित सेवाओं में बढते दबाव के कारण विवाह एवं समारोह स्थलों के संचालन के नियंत्रण हेतु जनहित मे उपविधि बनाया जाना आवश्यक हो गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी याचिका संख्या एकलपीठ दीवानी याचिका संख्या 7275/06 श्री राजकुमार तावा बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 1.4.08 को इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया था। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 340 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जोधपुर निम्न लिखित उपविधि बनाती है:--

1 शीर्षक सीमा एवं प्रभाव :--

(क) ये उपविधि नगर निगम जोधपुर (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2015 कहलायेगे।

(ख) ये उपविधि तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी।

(ग) ये उपविधि नगर निगम जोधपुर की सीमा में प्रभावशील होगी।

2. शाब्दिक परिभाषाएं :-

जब तक अर्थ मे असंगता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी:-

i. अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) से है।

ii. समिति से तात्पर्य जोधपुर नगर निगम द्वारा धारा 55 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

iii. स्थानीय निकाय से तात्पर्य जोधपुर नगर निगम से है।

iv उपयोग व उपभोग अनुमति से तात्पर्य विवाह एवं समारोह स्थल पर इन उपविधियों के अन्तर्गत उपविधि 2 के खण्ड (VII) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने अनुमति (अनुज्ञा पत्र) से है।

v. अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन की अनुमति (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्त्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

vi. अधिकृत प्राधिकारी से तात्पर्य आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो राजस्व अधिकारी से कनिष्ठ स्तर का नही होगा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उपविधियो के अन्तर्गत विवाह एव समारोह स्थल की अनुमति (अनुज्ञा) एव संचालन की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

vii विवाह एवं समारोह स्थल से तात्पर्य जोधपुर नगर निगम की सीमा में स्थित ऐसे समस्त भूखण्डों/फार्म हाउस (अकृषि) /सामुदायिक केन्द्रो/समाज के भवनो/न्याति नोहरो/भवनो/क्लबो/बैंक्वट हॉल इत्यादि से है जो सगाई/शादी/जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह / उत्सव / प्रदर्शनी / कन्वेशन /गरबा उत्सव/नववर्ष आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग मे लिये जाते है।

viii ऐसे भूखण्ड/भवन जिनका रूपान्तरण/आवंटन व्यवसायिक/पर्यटन/संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया है परन्तु आवंटन की शर्तो मे भूखण्ड/भवन का उपयोग उपविधि 2 के खण्ड (VII) में दर्शाये गये विभिन्न सामाजिक प्रयोजनार्थ को सम्मिलित नही किया गया है तो ऐसे समस्त भूखण्डधारी/भवन मालिक को "विवाह एवं समारोह स्थल" पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।

ix. पत्र से तात्पर्य इन उपविधि के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये है उनके संबंध मे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 मे दी गई परिभाषाएं लागू होगी।

3. निषेध :--

जोधपुर नगर निगम की सीमा मे कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति (अनुज्ञा) प्राप्त किये बिना ऐसे स्थान का विवाह एवं समारोह स्थल के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नही कर सकेगा। अन्य उपयोग करने पर नियमानुसार अनुमति (अनुज्ञा) प्राप्त करनी होगी अन्यथा अनुज्ञा-पत्र रद्द मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4 अनुज्ञा--पत्र प्राप्त की प्रणाली :--

कोई भी व्यक्ति, संस्था कम्पनी जो जोधपुर नगर निगम सीमा मे स्थित भूखण्ड/भवन/फार्म हाउस (अकृषि) का उपयोग विवाह एवं समारोह स्थल के लिए करना चाहता है अथवा इन उपविधियों के लागू होने से पूर्व स्थल का उपयोग कर रहा है तो उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा है तो उसे -

Scanned by CamScanner

i. निर्धारित प्रपत्र 'क' मे आवेदन करना होगा।

ii. विवाह एवं समारोह स्थल का कम्प्युटराईज्ड ले-आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा :-

(क) महिला व पुरूष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डो के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय

(ख) भवन विनियमों मे निर्धारित अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था

(ग) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता

(घ) आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान मे आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पूर्व दूसरा रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा।

(ड) सडक की चौडाई न्यूनतम 60 फीट होना अनिवार्य होगा । परंतु 1000 वर्गगज से कम क्षेत्र वाले विवाह एवं समारोह स्थल के संदर्भ में समिति रोड चौडाई हेतु छूट प्रदान कर सकेगी। सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्रों के संबंध में मे सडक की चौडाई 30 फीट रहेगी।

(च) कचरा संग्रह की व्यवस्था तथा गंदे पानी के निष्कासन की व्यवस्था

(छ) बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्था तथा इमरजेन्सी लाईट

(ज) वाटर हारवेस्टिंग

(झ) हलवाई/कैटरिंग/अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण, पार्क, लैण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान का इंगतिकरण इत्यादि।

(ट) पार्किंग व्यवस्था हेतु यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है एवं नवीनीकरण के समय पुनः अनापति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

iii. संबंधित भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति

iv. यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित में हुए इकरारनामा एवं एम.ओ. यू/अन्य कानूनी दस्तावेज, जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटेराईज्ड प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी एवं विवाह एवं समारोह स्थल की अधिसूचना (भूखण्ड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो का उसके द्वारा अक्षरशः पालना किया जावेगा। इस हेतु 10/- का ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

समस्त वांछित औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् जोधपुर नगर निगम के अधिकृत प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जांच की जाकर अनुमति (अनुज्ञा-पत्र) दिये जाने अथवा नही दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा।

5. प्रक्रिया

अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवायी जावेगी। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजियन जारी किया जा सकेगा। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवायी की जाकर प्रकरण का निरतारण आयुक्त/उपायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6. भूमि/भवन स्वामित्व की जांच :-

यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नही किये गये हो या वांछित दस्तावेज जांच में सही नही पाये जावे तो उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन प्रोसेसिंग शुल्क की राशि को लौटाया नही जावेगा। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।

7. अपील

विवाह एवं समारोह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 60 दिवस में इसकी अपील राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 में गठित समिति अथवा इस प्रयोजन से अधिकृत समिति में की जा सकेगी।

8. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा:-

जोधपुर नगर निगम द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृत/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्रतिबन्धित क्षेत्र :-

a. ऐसे स्थान जहां पर रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाये या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य मे बाधा आती हो, वहां पर विवाह एवं समारोह स्थल की अनुमति नही दी जा सकेगी।

b. विवाह एवं समारोह स्थल हेतु अनुमति संचालित चिकित्सालय से 100 फीट की परिधि मे प्रतिबन्धित होगी।

Scanned by CamScanner

c. राज्य सरकार दिए गए निर्देशो पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर जोधपुर नगर निगम द्वारा सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

10. **विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजीयन एवं अनुमति शुल्क :–**

(अ) विवाह एवं समारोह स्थल प्रोसेसिंग शुल्क 5000/– ।

(ब) विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन शुल्क 30000/– एक बारीय देय होगा ।

(स) विवाह एवं समारोह स्थल उपयोग का संचालन हेतु नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्ष नियमानुसार देय होगा।

एरिया (वर्ग मीटर) ग डी. एल. सी. (वर्ग मीटर)

1000

विवाह एवं समारोह स्थल उपयोग की नवीनीकरण/ संचालन शुल्क पूरे वित्तीय वर्ष हेतु देय होगी चाहे उपरोक्त अनुज्ञा–पत्र वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में जारी की गई हो।

उपरोक्त विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन शुल्क एवं विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) संचालन/नवीनीकरण शुल्क जोधपुर नगर निगम को देय किसी भी अन्य शुल्क कर इत्यादि के अतिरिक्त होगी।

नोट :– उपविधि 10 के खण्ड (अ) व (ब) के अन्तर्गत जमा करवायी गई प्रोसेसिंग की राशि जोधपुर नगर निगम द्वारा आवेदनकर्ता को वापस नही लौटाई जावेगी।

संचालन/नवीनीकरण :–

(क) विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग व उपभोग) संचालन/नवीनीकरण शुल्क पूरे वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी संचालनकर्ता द्वारा पूरे वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ख) 01 फरवरी से 31 मार्च की अवधि में जोधपुर नगर निगम द्वारा स्वीकृत स्थलों द्वारा अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) संचालन प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नही करवाया जाता है तो प्रथम तीन माह देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं तत्पश्चात् दो प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शास्ति के रूप में देय होगा।

11. **विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुज्ञा पत्र निम्न शर्तो के अध्यधीन होगा:–**

(क) अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा इसके चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किये जायेगे।

(ख) अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा इसके संबंध में आवश्यक हिदायतें व सूचनायें परिसर के बाहर बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी। सूचनाओं का निर्धारण एकरूपता के आधार पर जोधपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जावेगा।

(ग) ध्वनि प्रदूषण के संबंध में राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करनी होगी।

(घ) विवाह एवं समारोह स्थल पर एकत्रित कचरे के लिये जोधपुर नगर निगम द्वारा निर्देशित नाप एवं डिजाइन का कचरा पात्र रखना होगा।

(ड) अग्निशमन से संबंधित उपकरण लगवाकर जोधपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तो की पालना की जानी अनिवार्य होगी।

(च) जोधपुर नगर निगम द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल से कचरा उठाने का शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा जो अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा।

(छ) अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा आवेदन स्थल पर सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा। अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल से अनुमोदित ले–आउट प्लान में इंगित शर्तो की पालना सुनिश्चित करते हुए विवाह एवं समारोह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

12. **अभियोजन**

जोधपुर नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो राजस्व अधिकारी से कनिष्ठ पद का नही होगा, द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल का निरीक्षण कर सकेगा। यदि उपयोग एवं उपभोग में निर्देशित शर्तो उपविधियों का उल्लघंन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जा सकेगा। विवाह एवं समारोह स्थल सम्पति का जोधपुर नगर निगम उपविधियों के अन्तर्गत अटैचमेन्ट एवं सीज भी किया जा सकेगा तथा दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

13. **समझौता :–**

न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 में गठित समिति या जोधपुर नगर निगम द्वारा प्राधिकृत समिति/अधिकारी को होगा।

14. **उपविधियों का उल्लघंन :–**

इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाया जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10000/– रूपये का अर्थ दण्ड दिया जाकर उपविधि संख्या 12 के अन्तर्गत कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्तकर्ता के विरूद्ध अमल मे लाई जावेगी।

Scanned by CamScanner

15. अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवाना :–

अर्थदण्ड की धनराशि अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगर निगम कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

16. अवैध विवाह एवं समारोह स्थलों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही :–

यदि किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के जोधपुर नगर निगम सीमा में विवाह एवं समारोह स्थल विद्यमान अथवा शुरू किया जाता है तो उसे जोधपुर नगर निगम द्वारा अवैध मानकर सीज किया/हटाया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

17. जनरेटर रूम की व्यवस्था :–

यह है कि जोधपुर नगर निगम क्षेत्र स्थित विवाह एवं समारोह स्थलों को जेनरेटर इस प्रकार लगाने होगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो।

18. सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोक :–

यह है कि स्थानीय क्षेत्र मे स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मोहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोडे गये है उनका उपयोग विवाह एवं समारोह स्थलों हेतु नही किया जावेगा, न ही उन्हे अनुज्ञा पत्र जारी किया जावेगा। उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी प्रकार में लिया जा सकेगा।

19.(1) सामुदायिक केन्द्रों/सार्वजनिक धर्मशालाओं के विवाह एवं समारोह स्थलों के उपयोग पर शुल्क राशि में छूट :–

भारत सरकार/ राज्य सरकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह एवं समारोह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है, के अनुज्ञा शुल्क हेतु उपविधि 10 के अन्तर्गत निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में ली जा सकेगी, परन्तु ऐसे विवाह एवं समारोह स्थल, जिनका संचालन भारत सरकार/ राज्य सरकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है को उपविधि 10 से छूट होगी।

19 (2). समाज के समस्त ज्याति नोहरों, भवनों एवं बगेचियों जिनका संचालन समाज द्वारा किया जा रहा है तथा सामाजिक नोहरों/स्थलों में शादी समारोह का आयोजन किया जाता है तो इन सभी नोहरों/स्थलों का विवाह एवं समारोह स्थल के रूप में अनुज्ञा शुल्क रूपये 5000/– एवं 1000/– रूपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने होगे तथा आगामी वितीय वर्ष नवीनीकरण हेतु रूपये 2000/– शुल्क प्रति वर्ष देय होगा। इन विवाह एवं समारोह स्थलों से प्रति समारोह सफाई शुल्क नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा।

20. पार्किंग और यातायात सुनिश्चित करना :–

अनुज्ञा प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी और स्थानीय पुलिस की अनुमति से सडक के एक तरफ सिंगल लाईन पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

यातायात के संबध में जोधपुर नगर निगम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जुलूस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा। किसी क्षेत्र में सडक विशेष पर विवाह जुलुस को अनुमति देने हेतु प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

21. विवाह एवं समारोह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंध :–

अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल की अनुज्ञा प्राप्त होने के बाद अनुज्ञा पत्र एक–एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिला कलेक्टर को देनी आवश्यक होगी। जोधपुर नगर निगम द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों अनुज्ञा पत्र किसी भी प्रकार की भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नही माना जावेगा। अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा भविष्य में संबंधित स्थल का भू–उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर संबंधित उपविधियों के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

22. जोधपुर नगर निगम का सर्वाधिकार सुरक्षित :–

विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा। जोधपुर नगर निगम द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल हेतु जारी अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किए बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर जोधपुर नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगी।

23. वर्तमान में अवैध रूप से संचालित विवाह एवं समारोह स्थलों को विवाह एवं समारोह स्थल अनुज्ञा प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में :–

जोधपुर नगर निगम के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निकाय के परिधीय क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित विवाह एवं समारोह स्थलों एवं उपविधि 2 के खण्ड अपपद्ध में वर्णित अन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थलों का सर्वेक्षण अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस की अवधि में करवाया जाकर जोनवार सूची तैयार की जाकर उपविधि संख्या 10, 11, 12, 13 एवं 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

24. निरसन और व्यावृत्तिया :–

इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेगी लेकिन इस उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियां प्रभावशील होने के कारण अवैध नही समझा जावेगा।

Scanned by CamScanner